

क्रमांक-स्फ 39/19/यो/04,

भोपाल, दिनांक 29/12/2005

आदेश

=====

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली की कंडिका क्रमांक 2.086 §3§ में अभी शासन स्तर की अस्वीकृति योग्य निविदाओं को मुख्य अभियन्ता अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी है। इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि शासन स्तर के साथ-साथ प्रमुख अभियन्ता स्तर की अस्वीकृति योग्य निविदाओं को भी मुख्य अभियन्ता अस्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे। यह निर्देश आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Handwritten Signature]

§सल0के0 जैन§

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म0प्र0 शासन, लो0 नि0 वि0

भोपाल, दिनांक 29/12/05

पू0क्र0 स्फ- 39/19/यो/04, 9855

प्रतिलिपि :-

- 1/ निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग।
- 2/ निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।
- 3/ निज सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग।
- 4/ सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 5/ महालेखाकार कार्यालय भोपाल/ग्वालियर।
- 6/ प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 7/ समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0।

[Handwritten Signature]
29/12/05

[Handwritten Signature]

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग